संचिका सं0–08 / भू0सु0को0 (ऑन–लाईन दाखिल–खारिज)–01 / 2018– 924 (8) / रा0,

fax/E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भूमि सुधार कोषांग)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 31-12-2018

विषयः– ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों को ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जा चुका है एवं दाखिल–खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन भी किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में कतिपय अधिकारियों द्वारा ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के संबंध में पृच्छा की गयी है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–16 (अध्याय–9) में वर्णित प्रावधानों का उपयोग किया जाता है जिसके तहत " समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथ अंचल अधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने, किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने, दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने एवं खर्चा दिलवाने के मामलों में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों। "

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा–152 में वर्णित है कि :–

Amendment of judgments, decrees or orders.- Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties.

अनुरोध है कि ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल –खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–16 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा–152 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाय। तदोपरान्त जमाबंदी से संबंधित डाटाबेस में संशोधन हेतु प्रस्ताव सभी वांछित कागजातों यथा अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश, संशोधन हेतु समर्पित साक्ष्य ईत्यादि के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि जमाबंदी डाटाबेस में सुधार हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 31/12
प्रधान सचिव।